

~~संज्ञा~~

पत्रावली पत्रावली/वकाल उभयपक्ष उपस्थित है
P.O. 3b अकारण पर/मुनाय कार्य में व्यस्त/
गाथा पर/अन्य कार्य में व्यस्त है। पत्रावली पूर्व
आ. जमाना दिनांक 27/09/19 को भेजा है।

27/09/19

वकाल पत्रावली (हकीम) कक्षा 30
अपना कार्य दिनांक 27/09/19 को भेजा है।
वकाल कक्षा 30 11/09/19 को भेजा
है। पृष्ठ

11.09.19

पत्रावली पत्रावली/उभय पक्ष के वकील उपस्थित।
वस्तु सुनी गई। पत्रावली वस्तु निर्णय दिनांक
27.09.19 को भेजा है। पृष्ठ

27/9/19

पत्रावली वकाले निर्णय पत्रावली। उभयपक्ष
के अतिरिक्त उपस्थित पत्रावली का
द्वैतलोक्य किया। उभयपक्ष की वकाल
पर मनन किया। वकील का वकाल
डिही किये जाने योग्य नहीं होने के
कारण खारिज किया जाता है।
तदनुसार डिही जारी है। विधि पत्रावली
से लिखवादा जाकर शामिल पत्रावली
किया। पत्रावली कैल कुल होकर
वकाल तकमिल दाखिल दफ्तरी है।



उपखण्ड मजिस्ट्रेट भोद मु. सीकर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर जिला सीकर
पीठासीन अधिकारी- राजपाल यादव, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा- राजस्व वाद/09/2018

1. पन्नाराम पुत्र भूदाराम
2. सुखाराम पुत्र भूदाराम
3. जैसाराम पुत्र तिलोकाराम
4. भागीरथ पुत्र तिलोकाराम
5. मदन पुत्र तिलोकाराम
6. बलबीर पुत्र तिलोकाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर
-वादीगण

ब न अ म

1. टीकूराम पुत्र ईशर राम
2. रणजीत पुत्र ईशर राम
3. केशरदेव पुत्र ईशर राम
4. नेमीचंद पुत्र ईशर राम
5. मन्शी पुत्री ईशर राम
6. सुन्दर पुत्री ईशर राम
7. सजना पुत्री ईशर राम
8. तहसीलदार, तहसील धोद जिला सीकर

समस्त जाति जाट निवासीगण रामपुरा हाल आबाद कासली तहसील धोद जिला सीकर

-प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज. काश्तकारी अधिनियम एवं अ.धा. 136 एल आर एक्ट

उपस्थिति-

1. श्री भागीरथमल जाखड़ वकील वादीगण की ओर से
श्री महेश जाखड़ वकील प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 कि ओर से

-निर्णय:-

दिनांक- 27.09.2019

वाद के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा सं. 1023 रकबा 1.33 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर में अवस्थित है, जो वादीगण के खाते कब्जे व काश्त की भूमि है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज है। उक्त वादग्रस्त आराजी वादीगण के हिस्से के बाहमी बंटवारे में आई हुई है तथा वादीगण ही उक्त आराजी पर काबिज है। वादीगण व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है। प्रतिवादीगण के हिस्से में अन्य आराजी आई हुई है। यह कि उक्त आराजी के वागदीण बहैसियत खातेदार काश्तकार होने के बावजूद भी सहवन से आराजी में खातेदारी गलत रूप से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हो गई है जिसकी रेवेन्यू रिकार्ड दुरुस्ती वादीगण के पक्ष में किया जाना न्याय संगत है। उक्त आराजी में वादीगण बहैसियत खातेदार काश्तकार काबिज होने के बावजूद भी गलत खातेदारी की आड़ में वादीगण को प्रतिवादीगण बेदखल करना चाहते है। वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलंदाजी कर रहे है तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है। 10 दिन पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के खातेदारी अधिकारों को चुनौती देने, वादीगण के कब्जे काश्त में दखलंदाजी करने व बेदखल करने की धमकी देने पर दावा पेश करना आवश्यक हुआ। न्यायालय को दावा सुनवाई का श्रवणाधिकार व

उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

क्षेत्राधिकार प्राप्त है। प्रतिवादी सं. 8 भूमिधारी प्रतिनिधि होने से पक्षकार बनाया है। दावा उचित कोर्ट फीस पर अन्दर मियाद न्यायालय में पेश किया गया है। अतः वाद वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर आराजिगत आराजी खसरा सं. 1023 रकबा 1.33 हैक्टेयर वाके तन कासली तहसील धोद जिला सीकर का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 को जरिये स्थाई निष्काजा से प्रतिबंधित फरमाया जावे कि ये वादीगण के खातेदारी अधिकारों में दखलदाजी करने से बाज रहे। उक्त आराजी की जमाबंदी में प्रतिवादीगण का नाम हजफ किया जाकर संपूर्ण आराजी वादीगण के नाम दर्ज की जावे। खर्चा मुकदमा व अन्य दादरसी माननीय न्यायालय द्वारा वादीगण को प्रतिवादीगण से दिलवाई जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण सं. 1 ता 7 कि ओर से उनके अभिभाषक श्री महेश जाखड़ ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश कर वादीगण के वाद के डिक्री किये जाने पर कोई एतराज नहीं है बाबत इकबाली जवाब दावा पेश किया। साथ में वादीगण ने वाद के समर्थन में पन्नाराम एवं सुगनसिंह का शपथ-पत्र पेश किया गया, जिसे शामिल पत्रावली किया गया।
3. उभयपक्ष की बहस सुनी गई। वकील वादीगण ने बहस के दौरान कथन किया कि उक्त आराजी का वादीगण को खातेदार काश्तकार उद्घोषित किया जावे।
4. हमने वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया। उक्त दावे में मूल प्रश्न यह है कि क्या विवादित आराजी खसरा सं. 1023 रकबा 1.33 हैक्टेयर वाके ग्राम कासली की खातेदारी सहवन से प्रतिवादीगण के नाम दर्ज हुई या नहीं? पत्रावली में संलग्न जमाबंदी सम्वत् 2069-2072 वाके ग्राम कांसली के अनुसार खसरा सं. 1023 रकबा 1.33 हैक्टेयर की खातेदारी टीकूराम रणजीत केशरदेव नेमीचंद पि. ईशरराम मन्शी सुन्दर सजना पुत्रियां ईशरराम घन्नी बेवा ईशरराम जाति जाट सा. रामपुरा के नाम पर दर्ज है। पत्रावली में अन्य ऐसा कोई भी राजस्व रिकॉर्ड संलग्न नहीं है तथा न ही वादीगणों ने पेश किया है, जिससे यह साबित हो सके कि उक्त विवादित आराजी की खातेदारी पूर्व में वादीगणों के नाम पर दर्ज थी, जो कालान्तर में सहवन से या राजस्व कार्मिकों की गलती से प्रतिवादीगणों के नाम दर्ज कर दी गई हो। पुनश्च वादीगणों ने विवादित आराजी पर अपना कब्जा, काश्त होना बताया है, लेकिन केवल मात्र कब्जे के आधार पर कोई भी व्यक्ति आर.टी.ए. की धारा 88 के तहत उद्घोषणा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। जहां तक दोनों पक्षों(वादीगण एवं प्रतिवादीगण) में सहमति का प्रश्न है, वहां यह स्पष्ट कानूनी सिद्धान्त है कि सहमति के अनुसार कोई भी निर्णय तभी किया जा सकता है, जबकि दोनों पक्षों की सहमति विधि के अनुसार हों। उक्त प्रकरण में दोनों पक्षों के बीच सहमति आर. टी.ए. की धारा 88 के प्रावधानों के विरुद्ध है। उक्त सहमति के अनुसार खातेदारी की उद्घोषणा करने से सरकार को स्टाम्प ड्यूटी की क्षति भी कारित होगी।

अतः उपर्युक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। तदनुसार डिक्री जारी हों। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर अदालत से जारी किया गया।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर
उपखण्ड मजिस्ट्रेट धोद मु. सीकर

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, धोद मु० सीकर
बइजलास राजपाल यादव आर.ए.एस.

पन्नाराम आदि

बनाम टीकूराम आदि
दावा बाबत उद्घोषणा एवं रेकॉर्ड दुरुस्ती

मुकदमा नम्बर- 09/2016

निर्णय दिनांक- 27.09.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू राजपाल यादव आर.ए.एस उपखण्ड अधिकारी, धोद मु. सीकर बहाजिरी श्री भागीरथमल जाखड़ मिनजानिब मुद्दई रूबरू श्री महेश जाखड़ मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि वादीगण का वाद डिक्री किये जाने योग्य नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह आज तारीख 27.09.2019 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।



(राजपाल यादव)
उपखण्ड अधिकारी,
उपखण्ड न्यायालय, धोद मु. सीकर

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामिल			
जोड़		जोड़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official